



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1942 (श10)

(सं० पटना 961) पटना, शुक्रवार, 18 दिसम्बर 2020

okf.kT ;&dj foHkkx

vf/k l puk

18 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 200, दिनांक 18 दिसम्बर 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रत्येक मास के लिए बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2361)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

18 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 200, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2361)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 18th December 2020

S.O. 200, Dated 18th December 2020—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with, section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2020 to March, 2021 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 2361]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 961-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>